

Rajsthan Government
Local Self Government Department

क्र. सं.	योजना का नाम व वर्ष	योजना का प्रसार क्षेत्र	आशयित लाभार्थी/पात्रता	योजना के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम व विवरण	लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज	योजना के अन्तर्गत दिया जाने वाला लाभ	योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवंटित बजट
1.	मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (MSRGY) वर्ष 2025-26	राजस्थान राज्य की समस्त नगरीय निकाय	नगरीय निकाय क्षेत्र के 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु के व्यक्ति।	श्री नरेन्द्र अजमेरा, परियोजना निदेशक (MSRGY)	जन-आधार कार्ड।	एक वित्तीय वर्ष में मांग के आधार पर पात्र प्रत्येक परिवार को अधिकतम 125 दिवस का अकुशल श्रमिक के रूप में रोजगार उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।	रु. 200 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु)
2.	मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना	राजस्थान राज्य की समस्त नगरीय निकाय	असंगठित क्षेत्र के श्रमिक" यथा ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर, वेस्ट वर्कर, भवन निर्माण, रेग पिकर, हाकर्स, दस्तकार, आदि।	श्री एल. एल. पहाडिया, परियोजना निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।	18 से 60 वर्ष होने के साथ राजस्थान का मूल निवासी हो व जनाधार कार्ड अनिवार्य।	तीन चरणों में 10000, 20000 तथा 50000 रुपये का ऋण, 7 प्रतिशत की अनुदानित ब्याज दर पर	0.01